हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/12/24 आज यह पत्रावली पेश हुयी। वकील उप॰। कुरैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 08/01/25 को पेश हो।

08/01/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा शामिल कि॰ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 27 / 2019
दायर दिनांक :– 04.04.2019
निर्णय दिनांक :– 08/01/2025

उनवान

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कांकरा बर्डोद बहरोड़ तहसील बहरोड़
.... वादी

बनाम

1. रतिराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
2. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
3. गूगनराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
4. प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
5. रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
6. कमला पुत्री लक्ष्मनराम जाति माली निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़
7. महेन्द्र पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
8. अश्वनी उर्फ टींकू पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
9. पूनम पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
10. मंजू पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
11. राहुल पुत्र महेश जाति ब्राहम्ण निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़ हाल निवासी नयी आबादी रिवाडी तहसील एवं जिला रिवाडी हरि0
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक बी.आर.के.जी.बी. शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक .... **प्रतिवादीगण**
13. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ .... **फोरमल प्रतिवादी**

दावा धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत डिकी इस्तकरारहक, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्य अनुतोष खुद।

उपस्थित :–

1. श्री हरदान सिंह गुर्जर वकील वादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश की गई। वादी के वकील उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 3118 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड में वादी का 1/3 हिस्सा सहखातेदारी का है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मुताबिक सहखातेदारी का है। उक्त विवादित आराजी अविभाजित सहखातेदारी है। जो सहखातेदारी के कारण विकास से अवरूद्व है। वादी विवादित आराजी में अपना 1/3 हिस्सा अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी बाद कुर्रेजात रिपोर्ट विभाजन करवा दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद पत्र डिकी कर वादी को उसका 1/3 हिस्सा विभाजित कर दखल दिलाया जावे। नक्शा में तितम्बा काटा जाकर अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण को हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे।

जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2024 को प्रतिवादीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। हमने वादी के वकील को सुनकर वाद पत्र प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार बहरोड को कुरेजात रिपोर्ट हेतु आदेश दिये गये। तहसीलदासर बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व / 2024 / 1837 दिनांक 05.08.2024 से विवादित आराजी को मौके पर तकसीम कर विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुसार नही बनाई गई जिस पर अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151, 152 जा0 दी0 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3118 में वादी ने 1/3 हिस्सा खरीद कर लिया है। वर्तमान में वादी 2/3 हिसरे का राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त राजस्व अभिलेख के आधार पर तहसीलदार बहरोड द्वारा वादी के हिससे में 2/3 भाग का तकसीम प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित वाद पत्र प्राप्त कर वाद पत्र को मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात के आधार पर डिक्री तकसीम जारी करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम बर्डोद के खसरा नम्बर 3118 रकबा 0.72 है0 में वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज है। जिस सूरत में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बहरोड मुताबिक राजस्व अभिलेख सही है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट सा.देह आराजी खसरा नम्बर 3118/1 रकबा 0.48 वाके ग्राम बर्डोद हि. पूर्ण खातेदार रहेगा। रहिन हिस्सा 1/2 बी.आर.के जी शाखा बर्डोद
2. गूगनराम पुत्र लक्ष्मण 3/10, प्रभूदयाल पुत्र लक्ष्मण 3/10, फूलचन्द पुत्र लक्ष्मण 1/5, रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मण 1/5 जाति माली सा. देह आराजी खसरा 3118/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर पर खातेदार रहेगे। इसी कदर हाल राजस्व अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 08/1/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर ए एस)

मुकदमा नम्बर :– 27 / 2019
दायर दिनांक :– 04.04.2019
निर्णय दिनांक :– 08/01/2025

उनवान

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कांकरा बर्डोद बहरोड़ तहसील बहरोड़ ...... **वादी**

बनाम

1. रतिराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
2. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
3. गूगनराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
4. प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
5. रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
6. कमला पुत्री लक्ष्मनराम जाति माली निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़
7. महेन्द्र पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
8. अश्वनी उर्फ टींकू पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
9. पूनम पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
10. मंजू पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
11. राहुल पुत्र महेश जाति ब्राहम्ण निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़ हाल निवासी नयी आबादी रिवाडी तहसील एवं जिला रिवाडी हरि0
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड जरिये प्रबंधक बी.आर.के.जी.बी. शाखा बर्डोद तहसील बहरोड जरिये प्रबंधक .... **प्रतिवादीगण**
13. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड .... **फोरमल प्रतिवादी**

दावा धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत डिकी इस्तकरारहक, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्य अनुतोष खुद।

उपस्थित :–

1. श्री हरदान सिंह गुर्जर वकील वादी।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश की गई। वादी के वकील उपस्थित है। वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट सा.देह आराजी खसरा नम्बर 3118 / 1 रकबा 0.48 वाके ग्राम बर्डोद हि. पूर्ण खातेदार रहेगा। रहिन हिस्सा 1 / 2 बी.आर.के जी शाखा बर्डोद
2. गूगनराम पुत्र लक्ष्मण 3 / 10, प्रभूदयाल पुत्र लक्ष्मण 3 / 10, फूलचन्द पुत्र लक्ष्मण 1 / 5, रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मण 1 / 5 जाति माली सा. देह आराजी खसरा 3118 / 2 रकबा 0.24 हैक्टेयर पर खातेदार रहेगे। इसी कदर हाल राजस्व अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 08/01/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीणा)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर ए एस)

मुक्दमा नम्बर :– 27 / 2019

दायर दिनांक :– 04.04.2019

निर्णय दिनांक :– 27.03.2024

उनवान

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कांकरा बर्डोद बहरोड़ तहसील बहरोड़

.... **वादी**

बनाम

1. रतिराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
2. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
3. गूगनराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
4. प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
5. रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
6. कमला पुत्री लक्ष्मनराम जाति माली निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़
7. महेन्द्र पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
8. अश्वनी उर्फ टींकू पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
9. पूनम पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
10. मंजू पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
11. राहुल पुत्र महेश जाति ब्राहम्ण निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़ हाल निवासी नयी आबादी रिवाडी तहसील एवं जिला रिवाडी हरि0
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक
13. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक

.... **प्रतिवादीगण**

14. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़

.... **फोरमल प्रतिवादी**

<u>दावा धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत डिक्री इस्तकरारहक, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्य अनुतोष खुद।</u>

उपस्थित :–

1. श्री हरदान सिंह गुर्जर वकील वादी।

–: प्रारंभिक निर्णय :–

27.03.2024 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। वादी के वकील उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 3118 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ में वादी का 1/3 हिस्सा सहखातेदारी का है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड मुताबिक सहखातेदारी का है। उक्त विवादित आराजी अविभाजित सहखातेदारी है। जो सहखातेदारी के कारण विकास से अवरूद्ध है। वादी विवादित आराजी में अपना 1/3 हिस्सा अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी बाद कुर्रेजात रिपोर्ट विभाजन करवा दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद पत्र डिक्री कर वादी को उसका 1/3 हिस्सा विभाजित कर दखल दिलाया जावे। नक्शा में तितम्बा काटा जाकर अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण को हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद सूचना उपस्थित नही आये। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। हमने वादी के वकील को सुना व पत्रावली का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2073–76 मे खसरा नं. 3118 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बर्डौद तहसील बहरोड़ मे वादी का 1/3 भाग है व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 लगा0 11 का है। वादी द्वारा अपने 1/3 भाग को तकसीम किये जाने का ये वाद पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण बाद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिससे उनका विवादीत आराजी मे कोई रूची नहीं होना प्रकट होता है। अतः विवादीत आराजी को तकसीम किया जाना न्यायोचित है।

:- **आदेश** :-

अतः वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं. 3118 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बर्डौद तहसील बहरोड़ मे वादी को 1/3 भाग व प्रतिवादी सं. 01 लगा0 11 को उनके हिस्सानुसार खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा मे आगामी दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड़ को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु आदेश जारी हो। इसी कदर प्राथमिक डिक्री जारी करे।

आज दिनांक 27.03.2024 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(राधाकिशोर मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 27 / 2019

दायर दिनांक :– 04.04.2019

निर्णय दिनांक :– 27.03.2024

उनवान

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कांकरा बर्डोद बहरोड़ तहसील बहरोड़

.... **वादी**

बनाम

1. रतिराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
2. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
3. गूगनराम पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
4. प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
5. रामकिशन उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मनराम जाति माली
6. कमला पुत्री लक्ष्मनराम जाति माली निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़
7. महेन्द्र पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
8. अश्वनी उर्फ टींकू पुत्र रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
9. पूनम पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
10. मंजू पुत्री रतनलाल उर्फ छोटेलाल जाति ब्राहम्ण
11. राहुल पुत्र महेश जाति ब्राहम्ण निवासी बर्डोद तहसील बहरोड़ हाल निवासी नयी आबादी रिवाडी तहसील एवं जिला रिवाडी हरि0
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक
13. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़ जरिये प्रबंधक

.... **प्रतिवादीगण**

14. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़

.... **फोरमल प्रतिवादी**

<u>दावा धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत डिकी इस्तकरारहक, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्य अनुतोष खुद।</u>

उपस्थित :–

1. श्री हरदान सिंह गुर्जर वकील वादी।

–: प्रारंभिक डिकी :–

27.03.2024 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। वादी के वकील उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। वाद वादी इस प्रकार है कि डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं. 3118 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ मे वादी को 1/3 भाग व प्रतिवादी सं. 01 लगा0 11 को उनके हिस्सानुसार खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

हाजा में आगामी दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु आदेश जारी हो।

आज दिनांक 27.03.2024 को यह प्रारभिक डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(रामकिशोर मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)